Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Motion for consideration of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bills, 2018. (Bill referred to Standing Committee)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अविनियमित निक्षेप पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्त्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जिस बिल पर डिसक्शन होने वाला है, वह गरीब लोगों का जो पैसा पॉन्जी स्कीम्स में चला जाता है, उसको रोकने के लिए है। पॉन्जी स्कीम्स पर आज तक कोई रेग्युलेशन नहीं था, जिसके लिए सरकार यह बिल लेकर आयी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। खास तौर से ईस्टर्न इंडिया, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, ओडिशा और पूरा नॉर्थ-ईस्ट इनसे बहुत परेशान है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। ऐसे कई मसले हैं, जो राज्यों से भी संबंधित हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए और स्टेंडिंग कमेटी से विंटर सैशन तक रिपोर्ट देने का आग्रह किया जाएगा तो एक अच्छा बिल सदन में हम प्रस्तुत कर पाएंगे। यह देश के लिए भी अच्छा होगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Does the House agree to refer this Bill to the Standing Committee?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right, the House agrees to refer it to the Standing Committee.